न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या–01, महराजगंज
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–678/2026
UPMH010024382026

ईस्लाम पुत्र जमालुद्दीन उम्र 48 वर्ष निवासी– मटरा धमउर, थाना निचलौल, ज़िला महराजगंज।
.....आवदेक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य,
.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–111/2026
धारा–80(2), 85, 238 बी, 352 BNS व
3/4 डी0 पी0 एक्ट
थाना–निचलौल,
जिला–महराजगंज

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

<u>03.06.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त ईस्लाम पुत्र जमालुद्दीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–111/2026 धारा–80(2), 85, 238 बी, 352 BNS व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना–सोनौली, जिला–महराजगंज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आसमा की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त की पत्नी है तथा मुकदमें की पैरवीकार है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से जमानत का यह आधार लिया गया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है। तथाकथित घटना का प्राथमिकी काफी विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। विलम्ब का कारण दर्शित नहीं है। तथाकथित घटना के प्राथमिकी के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि उक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यी कोई नहीं है। तथाकथित घटना में प्रार्थी को जान बुझकर हैरान परेशान करने की गरज से झूठी कहानी बनाकर एक साजिश के तहत फंसाया गया है। प्रार्थी का संयुक्त परिवार नहीं है। प्रार्थी अपने लड़को से अपने पत्नी के साथ अलग रहता है। प्रार्थी तथाकथित घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। प्रार्थी वादी मुकदमा की लड़की हसिरून निशा से कभी भी दहेज की मांग नही किया है और न ही प्रार्थी हसिरून निशा को कभी भी प्रताड़ित ही किया है। प्रार्थी ने हसिरून् निशा को कभी मारा पीटा नहीं है और न ही प्रार्थी हसिरून निशा की हत्या किया है। वादी मुकदमा की लड़की हसिरून निशा की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। प्रार्थी माननीय न्यालया में जमानत देने को तैयार है। जमानत होने के बाद उसके भागने की कोई सम्भावना नहीं है क्योकि गाँव में घर, खेत स्थित है। प्रार्थी की जमानत होने पर प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेश व शर्तों का अक्षरशः पालन करेगा। प्रार्थी की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक-4.05.2026 को सरसरी तौर पर खारिज कर दी है। प्रार्थी का मननीय न्यायालय में यह जमानत आवेदन पत्र है। इसके अलावा

माननीय न्यायालय में न तो दाखिल है, न खारिज है और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है और न ही लम्बित है। प्रार्थी की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें।"

4. अभियोजन कथन के अनुसार "वादी अलीहसन की लड़की हसीरुन नेशा की शादी दिनाक 25.02.2021 को फैयाज अंसारी से हुई थी। जिसको दिनांक- 22.04.2026 की रात में करीब 11.30 बजे गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके दो छोटे बच्चे नाजिया व इब्रान है। पति विदेश में हैं। परिवार में काफी दिनों से दहेज को लेकर अनबन चल रही थी। आये दिन दहेज के लिए वादी की लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। पति भी फोन पर अतिरिक्त दहेज के लिए गालीयां देते थे। तथा इस घटना में मुख्य रूप से गुलशन पुत्री ईशा (ननद) व फिरोज की औरत नाम अज्ञात व ईशा पुत्र अज्ञात (ससुर) व अफरोज पुत्र ईशा (देवर) शामिल है। इनके द्वारा बिना बताये लाश को दफना दिया गया है। मौके पर कुछ लोगों द्वारा विडियो बनाया गया है। जिसमें हत्या करने का प्रमाण दिखाई दे रहा है।"

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा की लड़की की दहेज की मांग कर प्रताड़ित कर उसकी हत्या कारित करने का आरोप है। उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता चलता है कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा वादी की लड़की की दहेज हत्या कारित करने का आरोप है। अभियुक्त मृतका का ससुर है इस प्रकार इनका विशिष्ट दायित्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण Asphyxia, antemortem stangulation है। मृतका हसीरुननिशा की शादी दिनांक 25.02.2021 को फैयाज असांरी के साथ हुई थी। वादी की लड़की की मृत्यु दिनांक 22.04.2026 को हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी की लड़की की मृत्यु अभियुक्त के घर में शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत दिए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थी/अभियुक्त ईस्लाम पुत्र जमालुद्दीन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–678/2026, मुकदमा अपराध संख्या–111/2026 अन्तर्गत धारा–80(2), 85, 238 बी, 352 BNS व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना–निचलौल, जिला–महराजगंज निरस्त किया जाता है।

8 कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक, महराजगंज को जरिए ई–मेल या पोर्टल के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–03.06.2026

(अलख कुमार)
प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–01,
महराजगंज।
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826